an>

Title: Regarding limitation of Red Zone Safety Norms.

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे (शिरूर) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आदरणी प्रधान मंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस पर ज गौरवपूर्ण मुहिम का ऐलान किया है कि हर घर तिरंगा, मैं उसके लिए आदरणी प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं। लेकिन देशभक्ति के जज्बे को जगाने वाल इस मुहिम को लेकर देश के लगभग 13 राज्यों के लाखों लोगों के दिलों में एव आशंका है, क्योंकि वे जिस घर पर तिरंगा फहराना चाहते हैं, वह घर अथॉराइज्ड नह है। ये सभी घर डिफेंस के रेड ज़ोन के दायरे में आते हैं।

सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र शिरूर और बाजू के मावल संसदीय क्षेत्र व लगभग पांच लाख से ज्यादा देशवासी इस रेड जोन से आहत हैं। स्टोरेज एण् ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव कमेटी (स्टेक), रेगुलेशन, 1970, जिसे वर्ष 2005 व अमेंड किया गया था, उसके अनुसार इस रेड जोन की सीमा 270 मीटर से 500 मीट तक तय की गई है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने का जो कानून है, that is, Defence Ac of 1903, जिसमें इस सेफ्टी डिस्टेंस को 500 से 2000 यार्ड बताया गया है।

महोदय, मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है वि आजादी के 75 साल बाद भी कई जगहों, जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र शिरूर हो र नजदीकी क्षेत्र मावल हो, जहां सेफ्टी डिस्टेंस नॉर्म अंग्रेजों के जमाने के कानून व सुनिश्चित किया गया है, जो 2000 यार्ड का है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और रक्ष मंत्री जी से गुज़ारिश करूंगा कि 'वन नेशन, वन टैक्स' की तरह वन नेशन, वन रे ज़ोन सेफ्टी नॉर्म के बारे में ध्यान दिया जाए और स्टेक रेगुलेशन, 1970 अमेंडेड इ 2005 के अनुसार 500 मीटर की रेड जोन की सीमा सुनिश्चित की जाए तथा उसवे ऊपर देशवासियों को राहत दी जाए। धन्यवाद।